न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 129 / 2018 दायरा दिनांक : 16.07.2018

उनवान

छोट्या उर्फ गोपाल पुत्र जगन्नाथ, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– चन्दालाल पुत्र जगन्नाथ, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

2– हेमराज पुत्र श्री भंवरलाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

3– घीसीबाई बेवा मोड़ूलाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

4– बिरधीबाई पुत्री मोड़ूलाल,

5– बसंत पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

6– बृजमोहन पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

7– जसोदा बाई पुत्री श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

8— रामनिवासी पुत्री श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

9— रेखा बाई पुत्री श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

10— भंवरीबाई पुत्री श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

11— गोरधन पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

12— देवलाल पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

13— राजस्थान सरकार

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 130 / 2018 दायरा दिनांक : 16.07.2018

उनवान

देवलाल पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— चन्दालाल पुत्र जगन्नाथ, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

2— हेमराज पुत्र श्री भंवरलाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * कोटा *

3— घीसीबाई बेवा मोडूलाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

4— बिरधीबाई पुत्री मोडूलाल,

5— बसंत पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

6— बृजमोहन पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

7— जसोदा बाई पुत्री श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

8— रामनिवासी पुत्री श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

9— रेखा बाई पुत्री श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

10— भंवरीबाई पुत्री श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

11— छोट्या उर्फ गोपाल पुत्र जगन्नाथ, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

12— गोरधन पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

13— राजस्थान सरकार

...... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओम प्रकाश नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2 की ओर से

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.10.2017 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 02.05.2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बारां जिससे वाद संख्या – 28/2012 वास्ते 53, 188 आर.टी.ए. स्वीकार किया गया।

निर्णय **दिनांक : 17.07.2023**

1– ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

2– वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी के प्रतिवादी क्रम 1 के मृतक पिता व प्रति0 क्र0 2 ता 12 के शामलाती खाते की आराजी वाके माल दिलोदा, तहसील बारां में खाता संख्या नई 99 व पुरानी 91 में अंकित खसरा नम्बर 581 रकबा 0.84 हेक्टर लगानी 5 रूपया 88 पैसे अवस्थित है, जिसमें प्रति0 क्रम0 1 के पिता भंवरलाल, व प्रति0 क्र0 2 ता 9 के पति/पिता/दादा/ पुत्रवधु के मोडूलाल, वादी चन्दालाल, गोरधन, देवलाल, छोट्या का 1/6–1/6 हिस्सा है, जिस पर पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं।

3– यह कि वादी का हिस्सा अलग नहीं होने की वहज से वादी को अपने हिस्से की आराजी पर बैंक से लोन आदि लेने में भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, इस कारण वादी अपना हिस्सा अलग करवा पाने का अधिकारी है।

4– यह कि पक्षकारान के बीच उक्त आराजी के कडता, लगान आदि बाबत आये दिन विवाद होते रहते हैं। इस कारण वादी उक्त आराजी का विभाजन करवाकर अपना हिस्सा अलग करवाना चाहता है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

5— यह कि प्रतिवादी क्रम 1 के पिता भंवरलाल का स्वर्गवास होने पर उसका वारिस प्रतिवादी क्रम 1 इस वाद में पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

6— यह कि वादी द्वारा उक्त आराजी का विभाजन कर लगान आदि अलग करवाने बाबत प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 12 से दिनांक 10.2.2012 को कहने पर उनके द्वारा इंकार करने पर बमुकाम दिलोदा, तहसील बारां में वाद कारण पैदा हुआ है।

7— अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी आ आशय की सादिर डिक्री पारित की जावे कि वाके माल दिलोदा, तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 581 रकबा 0.84 हेक्टर में विभाजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण का 1/6 — 1/6 हिस्सा अलग करवाया जावे तथा वादी का 1/6 हिस्सा अलग कर कब्जा दिलाया जावे तथा लगान आदि भी अलग ही नियत किया जावे तथा वादी के हिस्से में आने वाली वादी की आराजी पर प्रति० किसी भी प्रकार से भविष्य में कब्जा व दखल नहीं करें।

8— अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पेश कर अंकित किया कि वादी के व प्रति० 1 के मृतक पिता व प्रति० क्र० 2 ता 12 के शामलाती खाते की आराजी वाके माल दिलोदा, तहसील बारां में खसरा नम्बर 581 रकबा 0.84 हेक्टर स्थित है, जिसमें प्रति 1 के पिता भंवरलाल व प्रति० 2 ता 9 के पति/पिता/दादा/पुत्रवधु के मोडूलाल, वादी चन्दालाल, गोरधन, देवलाल, छोट्या का 1/6—1/6 हिस्सा निहित है, जिस पर पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं। विवादित उक्त आराजी में वादी का 1/6 हिस्सा है। वादी का हिस्सा अलग नहीं होने की वजह से वादी को

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपने हिस्से की आराजी पर बैंक से लोन आदि लेने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण वादी अपना हिस्सा अलग करवाने का अधिकारी है। पक्षकारान के बीच लगान अदायगी में आये दिन झगड़े होते रहते हैं इस कारण वादी अपने हिस्से का विभाजन पृथक खाते दर्ज कराना चाहता है।

9– अतः वाद स्वीकार कर वादी का 1/6 हिस्सा पृथक किया जावे तथा प्रति0 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

10– उक्त आशय का वाद होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 11 के अलावा सभी प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी 11 ने वाद को स्वीकार कर इकबाली जवाब पेश किया।

11– सबूत वादी में चन्दालाल के बयान लिये गये व दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा नकल जमाबंदी एक्जीविट 1 पेश की गई।

12– हमने वकील वादी के एकपक्षीय बहस पर मनन किया। वकील वादी ने एकपक्षीय बहस में कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की आराजी ग्राम दीलोदा में स्थित है। जिसमें वादी चन्दालाल का 1/6 हिस्सा निहित है। वादी को शामलाती खाता रखने में काफी असुविधा होती है। प्रतिवादीगण खाता विभाजन को सहमत नहीं हो रहे हैं। इसलिए वादी का 1/6 हिस्सा बंटवारा कर पृथक खाते दर्ज किया जावे।

13– हमने वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी एक्जीविट 1 से वादी के 1/6 हिस्से का सहखातेदार होने की पुष्टि होती है, शेष आराजी प्रतिवादीगण के संयुक्त खात्ते में है। चूंकि वादी 1/6 हिस्से का सहखातेदार है। अतः वादी अपना संयुक्त खाते से 1/6 हिस्से का बंटवारा कराकर पृथक खाते दर्ज कराने का विधिक

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रूप से अधिकारी है। वादी का 1/6 हिस्सा का विभाजन कर पृथक खाते दर्ज किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

14– अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ग्राम दीलोदा, तहसील बारां खसरा नम्बर 581 रकबा 0.84 हेक्टर में से वादी चन्दालाल पुत्र जगन्नाथ, जाति नायक, निवासी दीलोदा का 1/6 हिस्सा का बंटवारा कर पृथक खाते दर्ज करने व पृथक लगान निर्धारण के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बारां वादी के 1/6 हिस्से का बंटवारा राजस्व मण्डल के नियम 18–21 के तहत कर बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित करेगें। उक्त आशय की प्राथमिक डिक्री पारित कर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। तहसीलदार बारां को प्राथमिक डिक्री की छाया प्रति प्रेषित कर बंटवारा प्रस्ताव ..... जोव। पत्रावली बंटवारा प्रस्ताव में 30.01.2018 पेश हो।

15– पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प ....तुलसा में पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित हुआ। तहसीलदार, बारां से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर वादी को सुना गया। वादी तहसीलदार बारां से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव से सहमत है।

16– हमने तहसीलदार बारां से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुरूप ही है। अतः प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित होगा।

17– तहसीलदार बारां से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी चन्दालाल पुत्र जगन्नाथ, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां के ग्राम दीलोदा खसरा नम्बर 581 रकबा 0.14 हेक्टर पूर्वी तथा शेष 0. 70 हेक्टर प्रतिवादीगण 1 ता 12 के संयुक्त रूप से खाते में रहेगी। उक्त आशय के अनुसार वादी का बंटवारा कर पृथक खाते दर्ज करने व पृथक लगान निर्धारण के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आशय की अंतिम डिक्री पारित की जाकर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

18– इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 129/2018 एवं अपील संख्या 130/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

19– अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

20– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय देने में भारी त्रुटि की है।

21– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संयुक्त खातेदारी की भूमि का विभाजन नहीं करके केवल मात्र रेस्पोडेंट नम्बर 1 का हिस्सा ही अलग दर्ज करने का आदेश देने में भारी त्रुटि की है जबकि विभाजन के वाद में सभी सहखातेदारों का हिस्सा निर्धारित होकर पूरी संयुक्त खातेदारी की भूमि का विभाजन होना आवश्यक है।

22– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित सम्पूर्ण भूमि का विभाजन का आदेश नहीं देने में भारी त्रुटि की है।

23– अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर पूरी संयुक्त भूमि का विभाजन करनेहेतु पत्रावली रिमाण्ड करने की आज्ञा प्रदान करें।

24– इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 130/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

25– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय देने में भारी त्रुटि की है।

26– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संयुक्त खातेदारी की भूमि का विभाजन नहीं करके केवल मात्र रेस्पोडेंट नम्बर 1 का हिस्सा ही अलग दर्ज करने का आदेश देने में भारी त्रुटि की है जबकि विभाजन के वाद में सभी सहखातेदारों का हिस्सा निर्धारित होकर पूरी संयुक्त खातेदारी की भूमि का विभाजन होना आवश्यक है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

27– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित सम्पूर्ण भूमि का विभाजन का आदेश नहीं देने में भारी त्रुटि की है।

28– अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर पूरी संयुक्त भूमि का विभाजन करनेहेतु पत्रावली रिमाण्ड करने की आज्ञा प्रदान करें।

29– अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 09.07.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

30– दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

31– हमने उभयपक्षों के विद्वान योग्य अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं कानूनी विनिर्णयों का ध्यानपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक अध्ययन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया ।

32– अपीलार्थी/अभिभाषक अपीलांट ने जिन बिन्दुओं के आधार पर अपील पेश की है वे अपूर्ण एवं अधूरी पेश की है। उन्होंने अपील पेश कर किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा है।

33– रेस्पोडेंट प्रतिवादी नम्बर 12 जो इस न्यायालय में अपीलार्थी है। प्रतिवादी नं. 12 ने अपने जवाबदावे में कथन किया कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर आराजियात का विभाजन किये जाने में मुझ प्रतिवादी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रतिवादीगण के जवाबदावे के आधार पर अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

34– उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 129/2018 एवं 130/2018 अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.10.2017 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 02.05.2018 यथावत रखे जाते हैं ।

35– निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/7/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 129 / 2018

छोट्या उर्फ गोपाल पुत्र जगन्नाथ, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

.... **अपीलांट**

बनाम

1– चन्दालाल पुत्र जगन्नाथ, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
2– हेमराज पुत्र श्री भंवरलाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
3– घीसीबाई बेवा मोडूलाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
4– बिरधीबाई पुत्री मोडूलाल,
5– बसंत पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
6– बृजमोहन पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
7– जसोदा बाई पुत्री श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
8– रामनिवासी पुत्री श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
9– रेखा बाई पुत्री श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
10– भंवरीबाई पुत्री श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
11– गोरधन पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
12– देवलाल पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
13– राजस्थान सरकार

.... **रेस्पोडेंट**

अपील संख्या 130 / 2018

देवलाल पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां

.... **अपीलांट**

1– चन्दालाल पुत्र जगन्नाथ, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
2– हेमराज पुत्र श्री भंवरलाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
3– घीसीबाई बेवा मोडूलाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
4– बिरधीबाई पुत्री मोडूलाल,
5– बसंत पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
6– बृजमोहन पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
7– जसोदा बाई पुत्री श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
8– रामनिवासी पुत्री श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
9– रेखा बाई पुत्री श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
10– भंवरीबाई पुत्री श्री रामदयाल, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
11– छोट्या उर्फ गोपाल पुत्र जगन्नाथ, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
12– गोरधन पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति नायक, निवासी दीलोदा, तहसील बारां, जिला बारां
13– राजस्थान सरकार

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 129/2018 व 130/2018
मु.द.नं 28/2012

एवं नाराजगी डिक्री अदालत –**उपखण्ड अधिकारी, बारां**
निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक **31.10.2017** एवं
अतिंम डिक्री दिनांक **02.05.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 20 माह 06 सन् 2023

हाजरी **श्री धीरेन्द्र मालव** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से, **श्री ओम प्रकाश नागर** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं 2 की ओर से।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

दोनों अपीले अपील संख्या 129/2018 एवं 130/2018 अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.10.2017 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 02.05.2018 यथावत रखे जाते हैं ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 17माह 07 सन् 2023 को जारी किया गया ।

मोहर

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)